



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-Ashok Marg, Shakti Bhawan,
Lucknow.

संख्या: 4690-अ0प्र0(02ब)/पाकालि/2012-7/78

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, में दिनांक 31-07-2013 से 30-06-2014 के मध्य 60 वर्ष की अधिवर्षतावय पूर्ण करने वाले वैद्युत एवं यान्त्रिकी/जानपद संवर्ग के निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि को अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र0 सं0	अधिशासी अभियन्ता का नाम (अभि0 संख्या) (गृह जनपद), वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
सर्वश्री			
1.	राधे मोहन (76386) (एटा), अधिशासी अभियन्ता (सं0), प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा। -	25.07.1953	31.07.2013
2.	चन्द्रमा सिंह यादव (84021) (गाजीपुर), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मिर्जापुर।	21.07.1953	31.07.2013
3.	राम रूप राम (95069) (आजमगढ़) (अनु0जा0), अधिशासी अभियन्ता (सं0) मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर।	09.07.1953	31.07.2013
4.	आश नारायण सिंह (82021) (सीतामढ़ी-बिहार), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गाजियाबाद।	04.07.1953	31.07.2013
5.	नरेन्द्र कुमार (76349) (आगरा), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, हाथरस।	18.08.1953	31.08.2013
6.	राधा रमण (79058) (मथुरा), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, हरदुआगंज।	01.09.1953	31.08.2013
7.	नरेन्द्र प्रताप (98042) (इटवा) (अनु0जा0), अधिशासी अभियन्ता (सं0) मुख्य अभियन्ता (वितरण), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़।	20.08.1953	31.08.2013
8.	रंजन सक्सेना (84010) (मेरठ), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पन मण्डल-प्रथम, लखनऊ।	06.08.1953	31.08.2013
9.	सतीश कुमार (76274) (गोरखपुर), अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0। (प्रतिनियुक्ति पर)	15.10.1953	31.10.2013
10.	अखिलेश कुमार गुप्ता (76186) (मेरठ), अधिशासी अभियन्ता (सं0) मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली क्षेत्र, बरेली।	14.11.1953	30.11.2013
11.	उमाकान्त रावत (76518) (जालौन), अधिशासी अभियन्ता (सं0), अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा।	15.11.1953	30.11.2013
12.	विष्णु मालवीय (81150) (मिर्जापुर), अधिशासी अभियन्ता (सं0) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजीपुर।	12.11.1953	30.11.2013
13.	सतीश कुमार अग्रवाल (78031) (देहरादून), अधिशासी अभियन्ता (सं0), विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।	11.12.1953	31.12.2013

(2)

14.	अवनीकान्त दूबे (81190) (मुंगेर), अधिशासी अभियन्ता (सं०), अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, वाराणसी।	29.12.1953	31.12.2013
15.	दयाराम चौधरी (84020) (बस्ती), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, वाराणसी।	04.01.1954	31.01.2014
16.	अनिल कुमार अग्रवाल (7939) (मुजफ्फरनगर), अधिशासी अभियन्ता (ज्ञानपद) (सं०), विद्युत ज्ञानपद पारिषद परिकल्पन मण्डल, लखनऊ।	22.02.1954	28.02.2014
17.	राम प्रसाद गुप्ता (82009) (फैजाबाद), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बदायूँ।	01.03.1954	28.02.2014
18.	प्रहलाद कुमार मित्तल (81144) (आगरा), अधिशासी अभियन्ता (सं०), विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।	30.03.1954	31.03.2014
19.	मो० फिरोज (82050) (इलाहाबाद), अधिशासी अभियन्ता (सं०), विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, मिर्जापुर।	12.05.1954	31.05.2014
20.	योगेश कुमार (85010) (सहारनपुर), अधिशासी अभियन्ता, 765 के०वी० उपकेन्द्र ग्रेटर नोएडा।	11.06.1954	30.06.2014
21.	राजवीर समाधियाँ (82034) (अलीगढ़), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।	02.06.1954	30.06.2014
22.	अजय पाल सिंह (81196) (कानपुर), अधिशासी अभियन्ता (सं०), विद्युत वितरण मण्डल, मेनपुरी।	26.06.1954	30.06.2014
23.	सूरज पाल सिंह चौहान (89011) (अलीगढ़), अधिशासी अभियन्ता (सं०), प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।	01.07.1954	30.06.2014

2- उपरोक्त आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि (अपराह्न) तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षतावय प्राप्त कर चुके अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि, सूचित की जा रही तिथि से, पहले पड़ती है तो वास्तविक एवं सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

3- चूंकि अधिशासी अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार डिस्काम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान कर दिये गये हैं जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित स्थानान्तरण आदेश कारपोरेशन में ससमय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अतः यदि सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की तिथि के उपरान्त अथवा पूर्व में उनकी तैनाती स्थिति में पावर कारपोरेशन/डिस्काम स्तर पर कोई परिवर्तन हो तो उसे तदनुरूप संशोधित समझा जाये।

4- सेवानिवृत्त होने वाले सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व अपने निवास के पते की सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को अवश्य दे दें ताकि सेवानिवृत्ति पेंशन आदि देयों के सम्बन्ध में वांछित स्थान पर पत्र व्यवहार किया जाना सम्भव हो सके।

प्रबन्ध निदेशक

3/-

संख्या: 4690 (1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/समस्त संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/ मेरठ/वाराणसी।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)/नियोजन/रेस्पो/ऊर्जा प्रणाली/जांच समिति-प्रथम/द्वितीय/जलविद्युत/विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक, (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (देतन एवं लेखा/जी0पी0एफ0/पेंशन/बी0एस0ए0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाईज़ ट्रस्ट, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता वेब, शक्ति भवन, लखनऊ (वेबसाइट द्वारा सूचित करने हेतु)।
12. सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचनापट/कम्प्यूटर इकाई।
13. प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

आज्ञा से,

(सत्यानन्द दीक्षित)

उप सचिव

27/11/2012